दिनांक 14.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर एवं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुश्री दीप्ति शर्मा का पुलिस मुख्यालय में सम्मान

आज दिनांक 14.11.2025 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्णा** द्वारा पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर एवं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य तथा स्पोर्ट्स कोटे में चयनित उत्तर प्रदेश पुलिस की अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक **सुश्री दीप्ति शर्मा** को वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में सुश्री दीप्ति शर्मा का और उनके परिजनों का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि— **"सुश्री दीप्ति शर्मा ने न केवल भारत वर्ष को गौरवान्वित किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नाम ऊँचा किया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने पुलिस परिवार को गर्व से भर दिया है।"**

उन्होंने कहा कि 1983 में पुरुष क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विजय के बाद से देश में क्रिकेट के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ा है। उसी परंपरा में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा 7 बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप जीतना एक ऐतिहासिक क्षण है, जो देशभर की बेटियों में नई ऊर्जा, प्रेरणा और उत्साह संचारित करेगा।

पुलिस महानिदेशक ने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन हेतु बनाई गई नीतियों के अंतर्गत विभिन्न खेल विधाओं के कुशल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे में पुलिस विभाग का हिस्सा बनाया जा रहा है। पिछले 3–4 वर्षों में कई उत्कृष्ट खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हैं, जिससे पुलिस बल की खेल प्रतिभा और मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कठोर परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति आवश्यक है, जिसका उदाहरण सुश्री दीप्ति शर्मा ने अपने प्रदर्शन से प्रस्तुत किया है।

पुलिस विभाग के बच्चों को प्रेरित करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा— "आप चाहे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, पूरे मनोयोग, समर्पण और अनुशासन के साथ प्रयास करें—सफलता अवश्य मिलेगी।"

अंत में पुलिस महानिदेशक द्वारा सुश्री दीप्ति शर्मा के परिजनों को खेल के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया गया तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सुश्री दीप्ति शर्मा को उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रदान की गईं।

सुश्री दीप्ति शर्मा का उद्बोधन— अपने उद्बोधन में सुश्री दीप्ति शर्मा ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय के इस मंच पर बोलना उनके लिए अत्यंत गर्व का अवसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनकर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने और नई पुलिस वर्दी धारण करने का अनुभव उनके लिए अत्यंत विशेष रहा।

उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद उन्हें देशभर में जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, वह उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, और यह सब परिवार तथा प्रशिक्षकों के निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं था। उन्होंने विशेष रूप से अपने बड़े भाई सुमित शर्मा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और समर्थन ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है।

उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि वह अपने प्रदर्शन से निरंतर देश, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम ऊँचा करती रहेंगी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियाँ—चाहे वह नौकरी के अवसर हों या आर्थिक सहायता—लगातार रूप से लागू की हैं।

उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनके परिवार का सपना था कि घर से कोई पुलिस अधिकारी बने, और इस सपने को पूरा कर पाना उनके जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है।

कार्यक्रम का संचालन आईजी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने किया। उन्होंने सुश्री दीप्ति शर्मा के क्रिकेट करियर की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया और उनके निजी जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं को भी साझा किया।

कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस विभाग के बच्चों ने सुश्री दीप्ति शर्मा से उनकी सफलता से जुड़े रोचक प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर उन्होंने अत्यंत सहज एवं प्रेरणादायक अंदाज़ में दिए।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण **श्री राजीव सब्बरवाल**, पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम/सीबीसीआईडी **श्री विनोद कुमार सिंह**, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था **श्री अमिताभ यश** सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

RAJEEV KRISHNA
आगरा जोन

RAJEEV KRISHNA
आगरा जोन
मेरठ जोन

दिनांक 14.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 23/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर के मु0अ0सं0 172/24 में वांछित चल रहे रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुरदीप एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दिनांक 14–11–2025 को थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/24 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि में वांछित चल रहे रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी गुरदीप को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

अभियुक्त का विवरणः–

गुरदीप पुत्र महेन्द्र सिंह उर्फ अवतार सिंह उर्फ सरदार सिंह निवासी 68 बाढन की ढानी खोहरी कलां, गुवालदा, थाना टपूकडा, जनपद खैरथल तिजारा, अलवर, राजस्थान।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

दिनाक 14–11–2025, समय 14.30 बजे, टी0पी0एस0 कम्पनी थाना चोपानकी, जनपद भिवाडी राजस्थान क्षेत्र।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण मे एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ गौतमबुद्धनगर की टीम को दिनांक 14–11–2025 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/24 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि से सम्बन्धित ईनामी अपराधी गुरदीप पुत्र महेन्द्र सिंह उर्फ अवतार सिंह उर्फ सरदार सिंह कहीं जाने की फिराक में टी0पी0एस0 कम्पनी के पास थाना चोपानकी, जनपद भिवाडी राजस्थान क्षेत्र में मौजूद है। इस सूचना को विकसित करने के

उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा थाना जेवर गौतमबुद्धनगर की पुलिस के साथ तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर ईनामी अपराधी गुरदीप को गिरफ्तार कर थाना चौपानकी, जनपद भिवाडी राजस्थान पर लाया गया, जहॉ पर प्रविष्टियॉ अंकित कराने के उपरान्त अभियुक्त गुरदीप को थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर लाकर उक्त अभियोग में दाखिल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गुरदीप ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह कक्षा 09 पास है तथा वह मूलरूप से अलवर राजस्थान का रहने वाला है। अभियुक्त गुरदीप द्वारा बताया कि उसने अपने साथी मंगत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम रेता पलवल, हरियाणा, जसविन्दर सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी सारेखुर्द तथा हरियाणा निवासी फुम्मन सिंह आदि के साथ मिलकर जमीन के असली स्वामी गुरदीप सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी दिल्ली के नाम से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि की कई लोगों के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री करके करोड़ो रूपयों की ठगी की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि इस घटना के सम्बन्ध में थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 420/467/ 468/471/120बी/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसी अभियोग में अभियुक्त गुरदीप वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के स्तर से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त गुरदीप थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर के मु0अ0सं0 139/25 धारा 209 बी0एन0एस0 के अभियोग में भी वांछित चल रहा था। अभियुक्त गुरदीप की अन्य अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

<u>अभियुक्त गुरदीप, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	38/22	19/54 आबकारी अधि0	चोपानकी	भिवाडी राजस्थान
2	172/24	420/467/468/471/120बी/34 भादवि	जेवर	गौतमबुद्धनगर
3	139/25	209 बीएनएस	जेवर	गौतमबुद्धनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्त गुरदीप, उपरोक्त को थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 172/24 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 13.11.2025 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला पान सराय के जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विशाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना उत्तर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल निवासी कौशल्यानगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना एत्माद्दौला

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 208 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद**

दिनांक 14.11.2025 को थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 11 सीढ़ी मेहताब बाग रोड़ के पास से अभियुक्त शाहनवाज उर्फ शानू को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 208 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहनवाज उर्फ शानू निवासी गढी चाँदनी थाना एत्माद्दौला कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 208 ग्राम अवैध हेरोइन।

जनपद सहारनपुर/थाना चिकलाना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस**
- **अवैध चरस ब्रिकी के 1700/–रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 13.11.2025 को थाना चिकलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटनी से कालू माजरा जाने वाले रास्ते पर स्थित ट्यूबेल के पास से अभियुक्त अफजाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, अवैध चरस ब्रिकी के 1700/–रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चिकलाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजाल निवासी औरंगजेबपुर थाना चिकलाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस।

2–अवैध चरस ब्रिकी के 1700/–रूपये नगद।

- **कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना विभूतिखण्ड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त शनि को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जगन्नाथ 2–लखपति को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना धीना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना धीना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अब्दुल जब्बार उर्फ जफर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विजयपाल उर्फ छोटक्के 2–करम अली उर्फ रामकिशोर को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 14.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद फिरोजाबाद में आयोजित कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 14-11-2025 को फिरोजाबाद पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद, विभिन्न कॉलेजो से आये शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएँ, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, साथ ही आनलाइन माध्यम से जुडे पुलिस अधीक्षक मैनपुरी, मैनपुरी के विभिन्न कॉलेज के छात्र / छात्राएं, साइबर सेल, थानों के पुलिस अधिकारी / कर्मचारियों, मीडिया बन्धुओं तथा कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बनाने हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने वाले साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही इस कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर जन-जागरुकता फैलाने के लिए आयोजकों तथा साइबर विशेषज्ञ का धन्यवाद किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि आज के डिजिटल युग में साइबर उपयोग जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। कोविड काल के पश्चात ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, किन्तु इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज का युवा वर्ग साइबर गेमिंग की लत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

1. समाज पर साइबर अपराध का प्रभाव

वर्तमान परिदृश्य में समाज का शायद ही कोई वर्ग साइबर क्राइम से अप्रभावित रहा हो।

- हमारे स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
- महिलाएं एवं बालिकाएं साइबर स्टॉकिंग तथा अन्य महिला-केंद्रित साइबर अपराधों की शिकार होती हैं।

2. डिजिटल अरेस्ट- एक उभरता खतरा

डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे सभ्रांत वर्ग के नागरिक शिकार हुए हैं और जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं।

3. आर्थिक अपराध के तीन प्रमुख कारण

अधिकांश लोग तीन कारणों से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं-

1. लालच
2. भय
3. लापरवाही

4. नागरिकों के लिए तीन जरूरी उपाय

साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर ध्यान देना चाहिएः

- तत्काल 1930 डायल करें।
- गोल्डन टाइम-फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें।
- सही तथ्यों को दर्ज करें।

5. बच्चों और युवाओं में साइबर सजगता

बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में सतर्क करना आवश्यक है।
आज के युग में सोशल मीडिया नशे की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।
इसके लिए हमें और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

6. पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश

थाना प्रभारियों को यह अवधारणा त्यागनी होगी कि 'साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते।' साइबर अपराध की जांच (Investigation) पूर्णतः SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward) है। यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह-सात चरणों को समझकर पाएगा कि यह सामान्य आपराधिक जांच से भी अधिक सरल और त्वरित है। साइबर अपराध का दायरा और दुष्प्रभाव प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिको का पुलिस पर विश्वास और भरोसा भी सुदृढ़ होगा।

7. साइबर सुरक्षा में नागरिक सहभागिता

साइबर क्राइम से बचाव हेतु मजबूत पासवर्ड एवं अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सदैव सतर्क रहें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक-केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी साइबर कानून प्रवर्तन के साथ-साथ राज्य को साइबर अपराध-मुक्त तथा देश को साइबर नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- यह लक्ष्य तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक सतर्क, सजग और सहयोगी बनकर इस मिशन में सहभागी बने।
- सुरक्षित डिजिटल उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब जनता और पुलिस साथ हों।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
RAJEEV KRISHNA
प्रदेश